प्रेस नोट दिनांक 30.03.2025 जनपद फतेहपुर

श्री अभिमन्यु मांगलिक ,पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में थाना कल्यानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जनपद के रास्ते अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जें से स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की कार के अन्दर 02 किलोग्राम अवैध गाजां बरामद किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में जनपद के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी के पूर्णतया रोकथाम एवं तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गए निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 30.03.2026 को श्री महेन्द्र पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण में मुखबिरी सूचना पर गुनीर तिराहे बहदग्राम गुनीर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर व जनपद उन्नाव बॉर्डर के रास्ते अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 02 अभियुक्तगण 1. अखिल सिंह पुत्र मनवीर सिंह निवासी मीतई थाना चन्दपा जनपद हाथरस उम्र करीब 28 वर्ष, 2.अजीत सिंह पुत्र रामहरी सिंह निवासी अरतौनी थाना महावन जनपद मथुरा उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से 02 किलोग्राम अवैध गाजां व 02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल एवं एक अदद घटना में प्रयुक्त कार स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग बरामद किया गया है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 85/2026 अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 207 एमवी एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि इस कार में गांजा है पुलिस को देखकर पकड़े जाने के डर से एकाएक गाड़ी से उतर कर हम लोग भागना चाहे की हम लोगों को पकड़ लिया गया हम लोग गाड़ी में रखे झोले में अवैध गाँजा लिए हुए है जो उन्नाव से खरीदकर आ रहे थें जिसको हाथरस, मथुरा में बेचने के लिए जा रहे थें। हम लोग उन्नाव से सस्ते दाम में गाँजा खरीद कर मँहगे दाम में बेचकर लाभ कमाते है हम लोग मुनाफा के पैसे से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी सुख सुविधा प्राप्त करते है एवं ऐशो-आराम की जिन्दगी व्यतीत करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.अखिल सिंह पुत्र मनवीर सिंह निवासी मीतई थाना चन्दपा जनपद हाथरस उम्र करीब 28 वर्ष।
2.अजीत सिंह पुत्र रामहरी सिंह निवासी अरतौनी थाना महावन जनपद मथुरा उम्र करीब 38 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त अखिल सिंह पुत्र मनवीर सिंह का आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0 85/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।

2.अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र रामहरी सिंह का आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0 85/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण-

1- 02 किलोग्राम नाजायज गांजा।
2. एक कार जिसका नं0 UP86X7776 स्विफ्ट डिजायर
3. दो अदद एण्ड्रोएड मोबाइल फोन व 6000/रुपये नकद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 चन्द्रसेन यादव थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
2.उ0नि0 शिवनारायण सिंह

3.हे0का0 बिपिन कुमार
4.हे0का0 मनोज त्रिपाठी
5.पीआरडी नरेन्द्र कुमार थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर ।